



382

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी प्रकरण क्रमांक / 2016

सिग-3321-I-16

1. मोती ढीमर तनय रतना आयु 65 वर्ष
 2. नारायणदास तनय हरजू ना.वा.सं.
निज माता सल्लू पत्नि हरजू ढीमर
 3. हनु तनय बलदुआ ढीमर
 4. गनेशा तनय लछुआ ढीमर
 5. चैना तनय दुर्जन ढीमर
 6. हीरा तनय दुर्जन ढीमर
 7. सरजुआ तनय बलदुआ ढीमर
 8. सन्तोष तनय बलदुआ ढीमर
 9. गौरैलाल तनय कुन्जी ढीमर
 10. लखन तनय कुन्जी ढीमर
 11. सुखलाल तनय कुन्जी ढीमर
 12. बालचन्द तनय कुन्जी ढीमर
- समस्त निवासी मातौल तह. खरगापुर
जिला टीकमगढ़ म.प्र.

.....निगराकार्यगण

बनाम

1. लछुआ तनय वालो अहिररवार निवासी
फुटेर चक्र-1 तह. खरगापुर जिला
टीकमगढ़
2. शासन म.प्र. द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़

19.9.16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा.सं. 1959

निगरानी प्रतिकूल विद्वान अधीनस्थ अधिकारी रा.ज.नि.मण्डल खरगापुर तह.
खरगापुर जिला टीकमगढ़ रा.प्र.क्र.-15/अ 12/ 2015-2016 आदेश दिनांक
26/06/2016 के विरुद्ध

महोदय जी,

निगरानी प्रमुख तथ्य निम्न प्रकार से है :-

1. यह कि अधीनसत्य अधिकारी रा.नि.मण्डल खरगापुर पाड़ित आदेश विधि तथ्यों एवं वास्तविक नियम कानून के सर्वता विपरीत है। जिसमें प्राथमिक रूप से कानूनी भूल दृष्टि गोचर होती है।
2. यह कि विद्वान अधीनसत्य अधिकारी द्वारा सीमांकन की कार्यवाही के दौरान न तो सरहदी कृषको को कोई जानकारी और न ही मौके पर उपस्थित होने का सूचना पत्र जारी किया। जिस दिनांक को सीमांकन कार्यवाही मौके पर की जाना है। पूर्णतः प्रकरण तामीली का अभाव है, विना सरहदी कृषको को सूचना दिये सीमांकन की कार्यवाही सम्पूर्ण प्रक्रिया दूषित है के तथ्य पर न्यायालय श्री मान् द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है।
3. यह कि न तो मौके पर सीमांकन किया न ही मौके पर फीलड बुक तैयार की गई न ही पंचनामा बनाया गया रा.नि. एवं हल्का पटवारी से मिलकर साईक्लोइ स्टाल आदेश पत्रिका एवं आदेश जारी किया जो राजस्व नियमावली के प्रतिकूल है समस्त कार्यवाही तत्परता पूर्वक की गई। उसी दिनांक को सीमांकन किया जाना पाया जाता, उसी दिनांक को आदेश किया जाना पाया जाता है सीमांकन कार्यवाही नियम विरुद्ध है जो निगराकारगण के पीठ पीछे की गई है स्थल पंचनामा पर किसी का कब्जा अंकित नहीं किया।
4. यह कि खसरा नम्बर 9/4 का पट्टा अन्य लोगों के नाम से बना है मूल प्रकरण में 9/4 का पट्टा अन्य व्यक्तियों के नाम से बना है। यही खसरा व रकवा प्रति निगराकार के नाम से सीमांकन किया गया है निगरा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

3

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3321-एक/2016

जिला टीकमगढ़

मोती विरूद्ध लछुआ व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक खरगापुर के प्रकरण क्रमांक 15/अ-12/2015-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 26-06-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	

B

(आर.के. जैन) 31-01-19
सदस्य